पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 529/अका./वि.प.स्थायी समिति/2019 रायपुर, दिनांकः 20/06/2019

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 19.06.2019 मध्यान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	–	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4. डॉ. एच.के. पाठक	–	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
6. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
7. डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
9. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	–	सदस्य
10. डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यवृत्त :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.05.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.05.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि करते हुए बिन्दु क्रमांक 5 में Bachelor of Library & Information Science, Master of Library & Information Science** स्वशासी महाविद्यालयों के लिए उपाधि प्रोफार्मा का अनुमोदन किया गया।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.05.2019 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण किया गया।**

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार <u>अस्थायी</u> सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शास. नवीन महाविद्यालय, वटगन, जिला–बलौदाबाजार – भाटापारा	B.Com.-I- All Compulsory Subject	90	2018-19	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अब्दुल करी, वाणिज्य विभाग, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महावि. महासमुंद 3. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. टी.एल. वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर 5. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.-I. (F.C.-Hindi, English), Political Sc., Geography, Hindi Litt., Economics	90		
		B.Sc.-I- Bio Group-Chemistry, Botany, Zoology	90		

	शासन का आदेश –				6. डॉ. कपिल शर्मा, शास. महाविद्यालय, आरंग 7. डॉ. के.के. साहू जैव प्रौद्योगिकी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि – 28.02.2019

आज दिनांक 28.02.2019 को विश्वविद्यलय के पत्र क्र. 7878/अका./संबद्धता/2019 रायपुर दिनांक 11.01.2019 के संदर्भ में शासकीय यनवीन महाविद्यालय, वटगन जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) का निरीक्षण गठित समिति के द्वारा किया गया।

1. नवीन महाविद्यालय, शासकीय उच्चतर विद्यालय वटगन में सचांलित किया जा रहा है।
2. विद्यालय द्वारा महाविद्यालय के लिए कुल आठ कक्ष आबंटित किए गए हैं। जिसमें छह कक्ष पठन–पाठन के लिए आबंटित है।
3. महाविद्यालय में आबंटित सीटें बी.एस–सी. –90, बी.ए–90, बी.काम.–90 के संदर्भ में क्रमशः 90, 90, 31 (कुल 211) छात्र–छात्राएँ वर्तमान सत्र में प्रवेशरत हैं।
4. महाविद्यालय में कुल 275 पुस्तकें, एक कम्प्यूटर के अतिरिक्त 100 छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर उपलब्ध है।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य का प्रभार शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नात. महा. बलौदाबाजार एवं एक नियमित शिक्षक अर्थशास्त्र विषय तथा एक नियमित लिपिक पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त आठ अतिथि शिक्षक पठन–पाठन का कार्य कर रहे हैं।
6. महाविद्यालय के लिए भूमि का आबंटन हो चुका है। 12.253 हे. क्षेत्र उपलब्ध है।
7. महाविद्यालय में प्रयोगशाला स्कूल में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त नियमित शिक्षक, फर्नीचर, पुस्तकें आदि क्रय करने की आवश्यकता है।
8. शासन द्वारा आगामी सत्र के लिए छात्र संख्या दुगुनी होने के अनुपात में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की जाने की आवश्यकता है।
9. महाविद्यालय में अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल–कूद एवं समुचित ग्रंथालय की आवश्यकता है।

निर्णयः अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

ii	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर शासन का आदेश क्र. एफ 1–37/2017/38–1 दिनांक 14.08.2017	M.A. Final (III & IV Sem.) Public Administration	25	2019-20	1. डॉ. डी.के. द्विवेदी, शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा. रायपुर 2. डॉ. संध्या सिंगारे, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां

निरीक्षण तिथि – 25.05.2019

1. महाविद्यालय का स्वयं के भवन में संचालित है।
2. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता है।
3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के चारों सेमेस्टर के लिए एक प्राध्यापक एवं तीन सहा. प्राध्यापकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में एक प्राध्यापक का पद स्वीकृत है।
4. वर्तमान में लोकप्रशासन विषय में लगभग 250 पुस्तकें उपलब्ध हैं। चारों सेमेस्टर के विष्ज्ञय के लिए लगभग 300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी।
5. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें –
   1. प्रेक्षागृह 2. छात्रावास 3. कैन्टीन 4. इनडोर गेम 5. ध्यान योग केन्द्र
   6. बहुद्देशीय काम्पलेक्स 7. रेम्प 8. आउटडोर मैदान
6. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की सम्बद्धता महाविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। पिछली समिति के दिए गए सुझावों पर प्रयास जारी है।
7. IIPA की सदस्यता (Membership) अनिवार्य रूप से लेना।

निर्णयः अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा. आमापारा जी.ई. रोड, रायपुर	B.P.E. -III year	100	2018-19	1. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. सी.डी. अगाशे, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
	शासन का आदेश क्र. 2031/119/ आउशि/अ.शै.प्र./2019 दिनांक 25.04.2019				
	<u>निरीक्षण तिथि – 01.06.2019</u> 1. Infrastructure is sufficient for B.P.E. III year. 2. More faculty (Teachers) are required for 100 seats. 3.				
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।				

04. श्री बी. गोपाल कृष्णा, श्री गजेन्द्र सिंह राठौर, शोध आवेदक, इलेक्ट्रानिक्स एवं कु. पूजाश्री प्रसाद शोध आवेदिका बायोसाइंस के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : 1. **श्री गजेन्द्र सिंह राठौर शोध आवेदक इलेक्ट्रानिक्स के संबंध में प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है।**

2. **कु. पूजा श्री प्रसाद, का प्रकरण अंतर्विषयी है। माइक्रोबायोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारी छात्र को विभागीय शोध उपाधि समिति द्वारा बायोसाईंस विषय में शोध हेतु अनुमति दी गई है एवं अकादमिक विभाग द्वारा पात्रता जारी की जा चुकी है।**

अतः इसे अपवाद स्वरूप एवं विशेष प्रकरण मानते हुए शोध उपाधि समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

3. **श्री बी. गोपाल कृष्णा के प्रकरण अंतर्विषयी है। भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त आवेदक को विभागीय शोध समिति द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विषय में शोध की अनुमति देते हुए इन्हें कोर्स–वर्क करने की भी अनुमति दी है। अतः इसे अपवाद स्वरूप विशेष प्रकरण मानते हुए एवं छात्र हित में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत प्रकरण को शोध उपाधि समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।**

उपर्युक्त प्रकरण क्रमांक 2 एवं 3 को भविष्य में उदाहरण न माना जाए एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसलिये सभी विभागीय शोध समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा जाए कि वे अध्यादेश 45 की कंडिका 7 का कड़ाई से पालन करें एवं उनके विभाग में अंतर्विषयी प्रकरण होने की दशा में उसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही इन तथ्यों को पी–एच.डी. शोध प्रवेश परीक्षा के लिये जारी होने वाली अधिसूचना में भी इसका उल्लेख किया जाए।

05. सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर के स्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर को एम.ए. अर्थशास्त्र सत्र 2018–19 से आवश्यक शर्तों की पूर्ति किये जाने के साथ स्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

06. शोध छात्रवृत्ति अवधि वृद्धि हेतु उपलब्ध नियम में शब्द in exception case की व्याख्या के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शोध छात्रवृत्ति अवधि वृद्धि हेतु प्रशासनिक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

07. अमेरिकन हाइस्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम (Grade 12/12th Class/Senior Secondary) उत्तीर्ण परीक्षार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रदान की गई अनुमति एवं परीक्षा को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अमेरिकन हाइस्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम (Grade 12/12th Class/Senior Secondary) उत्तीर्ण परीक्षार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

08. बी.बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर में ATKT प्राप्त छात्र/छात्राओं को पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में सम्मिलित करने पर विचार करना।

निर्णय : बी.बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर में ATKT प्राप्त छात्र/छात्राओं को पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में सत्र 2018–19 के लिए परीक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 568/परीक्षा/बी.बी.ए./2019 दिनांक 14.06.2019 की सूचना ग्रहण की गई।

09. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन धनेली, पो.–माना रायपुर की छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, धनेली धमतरी रोड, रायपुर के सम्मिलित करने हेतु अनापत्ति जारी करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति बैठक दिनांक 07.08.2018 में लिये गए निर्णय यथावत् रहेगा।

10. सत्र 2018–19 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1.	शास. माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द
2.	शास. नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, रायपुर
क्र.	अशासकीय महाविद्यालय
1.	कालिन्दी महाविद्यालय स्वाती एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर
2.	सी.आई.टी. साइंस एंड कॉमर्स कालेज, ग्राम–भेलवाडीह, अभनपुर, रायपुर
3.	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

निर्णयः वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

01. सत्र 2019–20 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना।

निर्णय : निम्नलिखित अध्ययन मण्डल से अनुशंसित सत्र 2019–20 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया :–

1.	कला संकाय	–	हिन्दी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, प्राच्य संस्कृत, संस्कृत, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान
2.	सामाजिक विज्ञान संकाय	–	समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, इतिहास
3.	विज्ञान संकाय	–	भौतिकी रसायन, सांख्यिकीय, इलेक्ट्रानिक्स, भू–विज्ञान, गणित, भूगोल
4.	जीव विज्ञान संकाय	–	वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, मानव विज्ञान, बायोटेक्नालॉजी, बायोसाइंस
5.	टेक्नालॉजी संकाय	–	फार्मेसी
6.	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय	–	कम्प्यूटर साइंस
7.	प्रबंध संकाय	–	प्रबंधन
8.	शिक्षा संकाय	–	शिक्षा
9.	शारीरिक शिक्षा संकाय	–	शारीरिक शिक्षा
10.	गृह–विज्ञान संकाय	–	गृह–विज्ञान
11.	वाणिज्य संकाय	–	वाणिज्य
12.	विधि संकाय	–	विधि

02. Human Ethical Committee की कार्यवाही के संबंध में।

निर्णय :

i. **Human Ethical Committee** से संबंधित नस्तियां एवं गतिविधियाँ अकादमिक शाखा द्वारा संचालित होगी।

ii. आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, विभागीय शोध समिति के द्वारा **Human Ethical Committee** की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत प्रकरण शोध उपाधि समिति में प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 530 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2019** रायपुर, दिनांक: 20/ **06** /**2019**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्रमांक 568 /परीक्षा/बी.बी.ए./ 2019 रायपुर, दिनांक 17/06/2019

//अधिसूचना//

बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के संबंधित अध्यादेश के अनुसार – बी.बी.ए. षष्ठम सेमे. की परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रथम सेमे. से चतुर्थ सेमे. तक परीक्षी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परंतु कुछ महाविद्यालयों के बी.बी.ए के ऐसे परीक्षार्थी भी षष्ठम सेमे. की परीक्षा आवेदन ऑनलाईन से भर दिये है जो प्रथम से चतुर्थ सेमे. तक उत्तीर्ण नही है।

ऐसे अपात्र परीक्षार्थीयों के द्वारा प्रस्तुत आवदेन पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में लिये गये निर्णयानुसार – जो परीक्षार्थी प्रथम से चतुर्थ सेमे.तक के ए.टी.के.टी. परीक्षार्थी षष्ठम सेमेस्टर के लिये भी परीक्षा आवदेन दिनांक **18/06/2019 से 22/06/2019** तक **ऑफलाईन परीक्षा आवेदन** समस्त अंक सूची एवं अपना पासपोर्ट साइज फोटो के साथ परीक्षा विभाग से सम्पर्क कर सकते है (इसके लिए परीक्षार्थीयों को **वचन – पत्र** देना होगा कि "मेरा षष्ठम सेमे. का परीक्षा परिणाम तब तक रोका जाये जब तक की प्रथम सेमे. से पंचम सेमे. उत्तीर्ण नहीं कर लेता")

यह व्यवस्था केवल मई–जून 2019 की परीक्षा के लिए ही दी गई है, तथा इसे भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए। साथ ही ऐसे परीक्षाथीयों की षष्ठम सेमे. की परीक्षा का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक वे प्रथम से पंचम सेमें तक की परीक्षा उत्तीर्ण नही कर लेते है।

आदेशानुसार,

वि.क.अ.(परीक्षा)

पृ.क. 569/परीक्षा/बी.बी.ए./ 2019 रायपुर, दिनांक 17/06/2019

प्रतिलिपिः–

1. बी.बी.ए. से संबंधित समस्त महाविद्यलयों के प्राचार्यो को इस निर्देश कि वे अपने संबंधित परीक्षाथीयों को इससे अवगत करावें।
2. संबंधित सकायाध्यक्ष को/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वि.क.अ. अका./जनसम्पर्क अधिकारी/
3. स.कु.स.गोपनीय/उ.कु.स.विकास/वि.वि.मुद्रणालय
4. कुलपति के सचिव/कुल सचिव के निजि सहा.प.र.शु.वि.वि. रायपुर

वि.क.अ.(परीक्षा)